

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 311]

भोपाल, रविवार, दिनांक 20 सितम्बर 2020—भाद्र 29, शक 1942

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2020

क्र. 9040-मप्रविस-15-विधान-2020.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2020 (क्रमांक 18 सन् 2019) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १८ सन् २०२०

मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, २०२०

वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०२० है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये दो लाख पांच हजार तीन सौ सतानवे करोड़ उनचास लाख छियानवे हजार होता है, मध्यप्रदेश विनियोग अध्यादेश, २०२० (क्रमांक-६ सन् २०२०) की अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुये, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

वित्तीय वर्ष २०२०-२१ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये २०,५३,९७,४९,९६,००० का दिया जाना.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दिए जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

विनियोग.

४. (१) मध्यप्रदेश विनियोग अध्यादेश, २०२० (क्रमांक ६ सन् २०२०) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये
	भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	० १,६४,६०,२१,४६,०००	१,६४,६०,२१,४६,०००
	भारत विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	० १,६३,४६,१३,०६,०००	१,६३,४६,१३,०६,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
००१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व ६,३५,१६,४४,००० पूंजी ६७,८७,०६,०००	५९,०१,१५,००० ०	६,९४,१७,५९,००० ६७,८७,०६,०००
००२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व ९५,६५,७१,०००	०	९५,६५,७१,०००
००३.	पुलिस	राजस्व ७३,२३,१०,१०,००० पूंजी ६,५३,८२,८३,०००	१,५२,५०,००० ०	७३,२४,६२,६०,००० ६,५३,८२,८३,०००
००४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व ९४,३३,४३,००० पूंजी १,०००	३,००,००० ०	९४,३६,४३,००० १,०००
००५.	जेल	राजस्व ४,११,९८,११,००० पूंजी ३०,३०,००,०००	० ०	४,११,९८,११,००० ३०,३०,००,०००
००६.	वित्त	राजस्व १,७२,९६,२२,५४,००० पूंजी १,३०,७०,०३,०००	३,३०,०५,४७,००० ०	१,७६,२६,२८,०१,००० १,३०,७०,०३,०००
००७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व ३२,००,८०,८३,००० पूंजी १७,०२,००,०००	२३,००,००० ०	३२,०१,०३,८३,००० १७,०२,००,०००
००८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व १९,०१,४८,१३,००० पूंजी १,७१,१०,०१,०००	३,९८,४९,००० ०	१९,०५,४६,६२,००० १,७१,१०,०१,०००
००९.	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राजस्व ६२,५९,१२,०००	०	६२,५९,१२,०००
०१०.	वन	राजस्व १६,८४,४३,३७,००० पूंजी १०,३३,२७,४७,०००	२५,९९,००० ०	१६,८४,६९,३६,००० १०,३३,२७,४७,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०११.	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	राजस्व ३,१८,६२,२७,००० पूंजी ५,९२,५०,०२,०००	२५,००० ०	३,१८,६२,५२,००० ५,९२,५०,०२,०००
०१२.	ऊर्जा	राजस्व ४७,९०,६२,२६,००० पूंजी ११,२०,५७,११,०००	१,००० ०	४७,९०,६२,२७,००० ११,२०,५७,११,०००
०१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व १,०४,६१,३६,५१,००० पूंजी ४,०००	३४,००,००० ०	१,०४,६१,७०,५१,००० ४,०००
०१४.	पशुपालन	राजस्व ८,९४,२०,१०,००० पूंजी ९,५७,७५,०००	१३,८८,००० ०	८,९४,३३,९८,००० ९,५७,७५,०००
०१५.	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जनजाति कल्याण	राजस्व २०,४५,७५,००० पूंजी ५,००,००,०००	१,००,००० ०	२०,४६,७५,००० ५,००,००,०००
०१६.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राजस्व ८९,६२,८२,००० पूंजी ७८,२०,०००	१७,३५,००० ०	८९,८०,१७,००० ७८,२०,०००
०१७.	सहकारिता	राजस्व ६,१०,७०,६२,००० पूंजी ३०,२६,५२,०००	२,००,००० ०	६,१०,७२,६२,००० ३०,२६,५२,०००
०१८.	श्रम	राजस्व ८,१३,०४,४८,०००	३,००,०००	८,१३,०७,४८,०००
०१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व ७२,३०,८७,०१,००० पूंजी १,७४,४२,५१,०००	२५,५०,००० ०	७२,३१,१२,५१,००० १,७४,४२,५१,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी			
	राजस्व	५,३७,८०,०६,०००	५,००,००,०००	५,४२,८०,०६,०००
	पूँजी	४०,६७,३८,२३,०००	०	४०,६७,३८,२३,०००
०२१.	लोक सेवा प्रबंधन			
	राजस्व	६०,३५,०१,०००	०	६०,३५,०१,०००
	पूँजी	२,००,००,०००	०	२,००,००,०००
०२२.	नगरीय विकास एवं आवास			
	राजस्व	२०,५२,९६,१३,०००	११,००,०००	२०,५३,०७,१३,०००
	पूँजी	१५,२५,८९,७३,०००	१०,००,००,०००	१५,३५,८९,७३,०००
०२३.	जल संसाधन			
	राजस्व	११,८१,३८,७२,०००	०	११,८१,३८,७२,०००
	पूँजी	४८,८१,४०,२८,०००	१,००,००,०००	४८,८२,४०,२८,०००
०२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.			
	राजस्व	११,५८,१३,८९,०००	०	११,५८,१३,८९,०००
	पूँजी	५०,०९,५२,०६,०००	२,५५,००,००,०००	५२,६४,५२,०६,०००
०२५.	खनिज साधन			
	राजस्व	४७,७६,१२,०००	७,५०,०५,००,०००	७,९७,८१,१२,०००
	पूँजी	९,००,०१,०००	०	९,००,०१,०००
०२६.	संस्कृति			
	राजस्व	१,३१,५८,२९,०००	२,००,०००	१,३१,६०,२९,०००
	पूँजी	२१,९५,०४,०००	०	२१,९५,०४,०००
०२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)			
	राजस्व	१,७७,०२,९७,३३,०००	२,००,०००	१,७७,०२,९९,३३,०००
	पूँजी	३,९०,००,०१,०००	०	३,९०,००,०१,०००
०२८.	राज्य विधान मंडल			
	राजस्व	९७,६२,२८,०००	६५,२१,०००	९८,२७,४९,०००
०२९.	विधि और विधायी कार्य			
	राजस्व	१६,९३,६८,०४,०००	१,७०,४१,५९,०००	१८,६४,०९,६३,०००
	पूँजी	२,२०,००,०२,०००	०	२,२०,००,०२,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
०३०.	ग्रामीण विकास		
	राजस्व	९,३०,८०,५१,०००	६,८१,०००
	पूँजी	२८,६७,९६,०४,०००	०
०३१.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी		
	राजस्व	९९,०८,४५,०००	१,००,०००
०३२.	जनसंपर्क		
	राजस्व	३,४५,३६,९४,०००	१०,०००
	पूँजी,	५,००,००,०००	०
०३३.	आदिम जाति कल्याण		
	राजस्व	७८,६२,९९,०९,०००	५,००,०००
	पूँजी,	१०,९८,७८,५०,०००	०
०३४.	सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण		
	राजस्व	७,३७,२८,८०,०००	१,२०,०००
०३५.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम		
	राजस्व	३,९६,२४,७०,०००	२,०००
	पूँजी	२,९०,५०,०३,०००	०
०३६.	परिवहन		
	राजस्व	९७,०८,८५,०००	४,००,०००
	पूँजी	१३,६०,००,०००	०
०३७.	पर्यटन		
	राजस्व	५१,२०,४६,०००	८०,०००
	पूँजी	५०,३४,०३,०००	०
०३८.	आयुष		
	राजस्व	४,५३,८०,२४,०००	८,००,०००
	पूँजी	१९,४५,०१,०००	०
०३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण		
	राजस्व	८,७८,५३,२९,०००	१,१०,०००
	पूँजी	३,८७,३१,३१,०००	०

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
०४०.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर).		
	राजस्व	३३,७५,६३,६०,०००	३३,७५,९३,६०,०००
	पूंजी	३,०५,४०,६२,०००	३,०५,४०,६२,०००
०४१.	प्रवासी भारतीय		
	राजस्व	९०,९३,०००	९०,९३,०००
०४२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास.		
	राजस्व	१,१३,०४,०५,०००	१,१३,०४,०६,०००
	पूंजी	६,८९,०६,०००	६,८९,०६,०००
०४३.	खेल और युवा कल्याण		
	राजस्व	१,०३,४८,१७,०००	१,०३,५३,१७,०००
	पूंजी	५२,२७,३२,०००	५२,२७,३२,०००
०४४.	उच्च शिक्षा		
	राजस्व	२४,९७,९३,३७,०००	२४,९८,०३,३७,०००
	पूंजी	५,३५,८४,०५,०००	५,३५,८४,०५,०००
०४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य		
	राजस्व	१,०००	१,०००
०४६.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी		
	राजस्व	१,१६,९२,८८,०००	१,१६,९२,८८,०००
	पूंजी	३४,००,०२,०००	३४,००,०२,०००
०४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.		
	राजस्व	८,८६,८२,०६,०००	८,८६,८६,०६,०००
	पूंजी	३,३४,८०,४१,०००	३,३४,८०,४१,०००
०४८.	नर्मदा घाटी विकास		
	राजस्व	१३,२९,९६,०००	१३,२९,९६,०००
	पूंजी	२३,९८,९३,६८,०००	२३,९९,५३,६८,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
०४९.	अनुसूचित जाति कल्याण		
	राजस्व	९,८४,०८,३२,०००	१०,००,०००
	पूंजी	२,६३,०७,०५,०००	०
०५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण		
	राजस्व	५,१३,४०,५५,०००	१,००,०००
	पूंजी	६८,००,००,०००	०
०५१.	अध्यात्म		
	राजस्व	४८,१४,४१,०००	१,५०,०००
	पूंजी	१,०००	०
०५२.	चिकित्सा शिक्षा		
	राजस्व	१२,८५,८६,७६,०००	०
	पूंजी	७,७५,००,३७,०००	०
०५३.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता		
	राजस्व	१,५७,२१,४८,३४,०००	०
	पूंजी	१,१६,०४,०१,०००	०
०५४.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा		
	राजस्व	१,६४,१४,२१,०००	०
०५५.	महिला एवं बाल विकास		
	राजस्व	४९,९१,४२,८९,०००	२,१५,०००
	पूंजी	९३,७६,०६,०००	०
०५६.	कुटीर एवं ग्रामोद्योग		
	राजस्व	१,०८,३४,५५,०००	१,००,०००
	पूंजी	१,३७,०८,०००	०
०५७.	पर्यावरण		
	राजस्व	२१,००,०२,०००	०
	पूंजी	२७,२०,०००	०

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय			
	राजस्व	४९,६२,१८,३०,०००	१०,०००	४९,६२,१८,४०,०००
	पूँजी	१,००,०१,०००	०	१,००,०१,०००
०५९.	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं			
	पूँजी	११,३१,२८,००,०००	०	११,३१,२८,००,०००
०६०.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय			
	राजस्व	४४,६५,००,०००	०	४४,६५,००,०००
	पूँजी	५,४३,७४,९६,०००	०	५,४३,७४,९६,०००
०६१.	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय			
	राजस्व	८,०००	०	८,०००
	पूँजी	८,०००	०	८,०००
०६२.	पंचायत			
	राजस्व	२,००,२७,०१,०००	५०,०००	२,००,२७,५१,०००
०६३.	अल्प संख्यक कल्याण			
	राजस्व	१७,४१,५६,०००	०	१७,४१,५६,०००
	पूँजी	६,००,००,०००	०	६,००,००,०००
०६४.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता			
	राजस्व	७०,८०,८७,७६,०००	७,२०,००,००,०००	७८,००,८७,७६,०००
	पूँजी	५९,००,००,०००	०	५९,००,००,०००
०६५.	विमानन			
	राजस्व	२४,७६,१४,०००	०	२४,७६,१४,०००
	पूँजी	६२,००,०१,०००	०	६२,००,०१,०००
०६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण			
	राजस्व	७,४५,८८,८५,०००	०	७,४५,८८,८५,०००
	पूँजी	१७,७४,०२,०००	०	१७,७४,०२,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
६७. लोक निर्माण कार्य-भवन				
	राजस्व	३,८५,५६,०२,०००	२,००,००,०००	३,८५,५६,०२,०००
	पूँजी	९९,४४,२४,०००	०	९९,४४,२४,०००
	योग :			
	राजस्व :	१३,८८,५९,५२,६०,०००	१,८५,०५,४८,१४,०००	१५,७३,६५,००,७४,०००
	पूँजी :	३,१४,१९,७६,१६,०००	१,६६,१२,७३,०६,०००	४,८०,३२,४९,२२,०००
	वृहद-योग :	१७,०२,७९,२८,७६,०००	३,५१,१८,२१,२०,०००	२०,५३,९७,४९,९६,०००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग को प्राधिकृत करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के प्राक्कलित व्यय के संबंध में तथा, मध्यप्रदेश विनियोग अध्यादेश, २०२० (क्रमांक ६ सन् २०२०) द्वारा अग्रिम रूप से किये गये अनुदानों के सहित पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है।

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव मध्यप्रदेश विनियोग अध्यादेश, २०२० (क्रमांक ६ सन् २०२०) इस प्रयोजन के लिये प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है।

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :
तारीख १८ सितम्बर, २०२०.

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

कोविड-19 वैश्विक महामारी के संक्रमण के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने से सभी गतिविधियाँ अवरूद्ध होने के परिणाम स्वरूप राज्य विधानसभा का सत्र भी समय पर आहूत न होने के कारण राज्य के वित्तीय वर्ष २०२०-२१ का वार्षिक बजट पर समय पर पारित नहीं हो सका. राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय एवं प्राक्कलित व्यय संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की अत्यावश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए एवं शासकीय व्यय तथा जनउपयोगी योजनाओं आदि के क्रियान्वयन हेतु संचित निधि से धन का आहरित किया जाना आवश्यक था.

५. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधानसभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव मध्यप्रदेश विनियोग अध्यादेश, २०२० (क्रमांक ६ सन् २०२०) इस प्रयोजन के लिये प्रख्यापित किया गया था.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.